न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2022

बउनवान

कृषि उपज मण्डी समिति विशिष्ठ श्रेणी बारां जरिये सचिव मनोजकुमार मीणा मण्डी यार्ड बारां जिला बारां (राज.) (अपीलांट)

बनाम

1. दोजमल आयु 87 साल पुत्र रामसुख जाति छीपा निवासी दीनदयाल पाके के पास बारां तह0 बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां (रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.03.2021 प्रकरण संख्या 232/20 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय तहसीलदार बारां

प्रकरण संख्या 15/2022

बउनवान

कृषि उपज मण्डी समिति विशिष्ठ श्रेणी बारां जरिये सचिव मनोजकुमार मीणा मण्डी यार्ड बारां जिला बारां (राज.) (अपीलांट)

बनाम

1. दोजमल आयु 87 साल पुत्र रामसुख जाति छीपा निवासी दीनदयाल पाके के पास बारां तह0 बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां (रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1187 दिनांक 05.05.2021 न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 232/20 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 16.03.2021 को पारित निर्णय के आधार पर खोला गया

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम एडवोकेट (रेस्पो. कम 1)

निर्णय दिनांक 30.08.2024

उक्त दोनों अपीलों में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारान होने से दोनों प्रकरणों में एक ही निर्णय पारित किया जाकर दोनों प्रकरणों में मूल निर्णय की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल बारां की आराजी खसरा नंबर 403 रकबा 16 बिस्वा, 408 रकबा 1 बी 17 बिस्वा, 416 रकबा 8 बिस्वा, 426 रकबा 2 बीघा [illegible] का खातेदार स्वामीशरण बताया गया है। रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा एक प्रार्थी की एक [illegible] अनरजिस्टर्ड व स्टाम्प पर भी लिखी हुई नहीं है जो एक कूटरचित [illegible] वसीयत तस्दीक करने का अधिकार ही नहीं है, इस तथ्य पर भी रेस्पो0 क[illegible] द्वारा ध्यान न देकर [illegible] भूल की है, इस कारण आदेश निरस्तनीय है [illegible] माननीय राजस्व म[illegible]मेर के प्रकरण संख्या निगरानी/एलआर/ 2008/11792 फौ[illegible]ह बनाम कस्तुरी देवी[illegible] निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

28.11.2019 मे दिये गये निर्णय अपंजीकृत वसीयत नामे के आधार पर भूमि का नामान्तकरण तस्दीक नही किया जा सकता। आरबीजे 2020 पेज 1 की अवहेलना करके नामान्तकरण खोल कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह ज्ञात होते हुये भी उपरोक्त भूमि पर कृषि उपज मण्डी काबिज है, जिसके करीब मण्डी कायम की हुयी है, लेकिन कृषि उपज मण्डी बारां को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। वसीयत नामा की भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नही की वसीयत नामा. के पेज नं. 2 पर रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा आदेश मे उल्लेखित आराजी को 2,00,000 रूपया मे खरीदना भी लिखा गया है, जिसमें एक लाख रूपया 10.02.93 को प्राप्त करना व शेष राशि 21.04.93 को लेना अंकित है, जिससे यह जाहिर है कि यह वसीयत नामा वसीयत की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधि. धारा 133, 134, 135,(2) के अंतर्गत प्रक्रिया अनुसार कोई जांच नहीं की गई है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधि. की धारा 135(2) के विपरीत प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुये स्वयं जांच कर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वामीशरण के वारिसान की जांच करवाने हेतु तहसीलदार तहसील जयपुर को वसीयत जांच प्रकरण के सम्बन्ध में जांच करवायी तो स्वामीशरण के संबंध में कोई जानकारी दर्शाये पते पर नहीं मिली तथा कोई दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र आदि भी नहीं मिले है, ना ही उसके कोई वारिसान होना नहीं पाया गया है, लेकिन इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्वामीशरण नाम का कोई व्यक्ति ही मौजूद नहीं है लेकिन इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। स्वामीशरण द्वारा न्यायालय ए.सी.एम. बारां मे एक वाद पेश किया गया है, जो दिनांक 13.11.98 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद रेस्पो0 क्रम 1 ने अपने आपको मुख्तार आम बता कर सहायक कलेक्टर बारां के यहां पर दावा नं. 25/93 पेश किया है, जिसका निर्णय दिनांक 26.02.95 को हुआ उक्त निर्णय मे यदि मौके पर भूमि उपलब्ध हो तो दो जावे यह निर्णय पारित हुआ है, इसी भूमि को लेकर एक वाद सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि. बारां के यहां पर पेश किया, जिसका निर्णय 11.01.94 को हुआ जिसका दावा नं. 37/93 है। उक्त दावे मे कृषि उपज मण्डी समिति बारां को पक्षकार ही नही बनाया गया है। उक्त दावे मे आदेश दिया गया है कि ख. नं. 537/2227 रकबा 0.35 है. मे से 18 ऐयर भूमि पर स्वामीशरण को काश्तकार घोषित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त दोनो निर्णय का अपने आलोच्य आदेश मे उल्लेख किया लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं उक्त निर्णय के आधार पर खोला गया नामान्तकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.21 अपास्त फरमाया जाकर उक्त आराजी का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष मे खोला जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो. कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.03.1995 की कथित फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पो0 कम 1 के पक्ष में निर्णय पारित कर कस्बा बारां की आराजी खसरा नंबर 528 रकबा 0.28 है. रेस्पो0 के कम 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह ज्ञात होते हुये उपरोक्त भूमि पर कृषि उपज मण्डी काबिज है, जिसके करीब मण्डी कायम की हुयी है, लेकिन कृषि उपज मण्डी बारां को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त वसीयत अपंजीकृत स्टाम्प पर भी लिखी हुई नहीं है तथा शपथ आयुक्त द्वारा जिसे वसीयत तस्दीक की गई है वसीयत तस्दीक करने का अधिकार ही नहीं है, इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया। कथित वसीयत नामा की भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नही की वसीयत नामा के पेज नं. 2 पर रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा आदेश मे उल्लेखित आराजी को 2,00,000 रूपया मे खरीदना भी लिखा गया है, जिसमें एक लाख रूपया 10.02.93 को प्राप्त करना व शेष राशि 21.04.93 को लेना अंकित है, इससे जाहिर होता है कि यह वसीयत वसीयत नामा की श्रेणी में नहीं आती है। इस भूमि बाबत पूर्व में हुए दावों में पारित निर्णयों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर 25 वर्ष पूर्व की कथित वसीयत के आधार पर मनमाना एवं विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट कृषि उपज मण्डी समिति बारां की आराजी बगैर अपीलांट को सुने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.21 अपास्त फरमाया जाकर उक्त आराजी का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष मे खोला जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वसीयत पर गहनता से जांच कर वसीयत के स्वतंत्र गवाह बाबूलाल शर्मा के बयान जिनके समक्ष मृतक स्वामीशरण ने वसीयत की थी के आधार पर तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 25/93 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.1994 के मुताबिक खसरा नंबर 408 की आराजी जिसके सेटलमेन्ट द्वारा नये नंबर अंकित नहीं किये गये थे तथा वह रेकार्ड से विलुप्त हो गई थी। उक्त निर्णय से उक्त आराजी के नये खसरा नंबर 528 बनना पाये गये जिसकी पालना में स्वामीशरण के नाम खसरा नंबर 528 रकबा 0.28 है. आराजी खाते दर्ज की गई के अनुसार स्वामीशरण की मृत्यु होने वसीयतकर्ता स्वामीशरण के कोई वारिसान नहीं होने के कारण वसीयत दिनांक 15.03.1995 के आधार पर उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट के इस कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह ज्ञात होते हुये भी उपरोक्त भूमि पर कृषि उपज मण्डी काबिज है, जिसके करीब मण्डी कायम की हुयी है, इसके बावजूद भी कृषि उपज मण्डी बारां को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.03.2021 तथा इस आदेश की पालना में खोला गया नामान्तकरण संख्या 1187 दिनांक 05.05.2021 त्रुटिपूर्ण होना पाये जाते हैं तथा अपीलांट की दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां द्वारा प्रकरण संख्या 232/2020 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2021 तथा इस आदेश की पालना में खोला गया नामान्तकरण संख्या 1187 दिनांक 05.05.2021 निरस्त किये जाकर दोनो प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि मृतक स्वामीशरण की अपंजीकृत वसीयत दिनांक 15.03.1995 के परिपेक्ष्य में अपीलांट की विधिवत सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसंगत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 लिखाये जाकर खुले न्यायालय में सुनाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.09.20 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बारां (राज०)